IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उरांव जनजाति पर प्रभाव : एक समाजषास्त्रीय अध्ययन

राज कुमार, सहायक प्राध्यापक, एस0 एस0 एम0 एस0 डिग्री कॉलेज तरहसी, पलामू

सारांष

सरकार ने संसद द्वारा पारित, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन–चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी0 पी0 डी0 एस) के अंतर्गत राज सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिषत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिषत शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है, इस प्रकार लगभग दो–तिहाई आबादी कवर की जाएगी। प्रति व्यक्ति चावल गेहूं व मोटे अनाज क्रमशः 3 रूपये 2 रूपये 1 रूपए प्रति किलोग्राम के राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का हकदार है। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवार, जिनमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल हैं, 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करते रहेंगे। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौषणिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6000 रूपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं। हकदारी के खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र के गठन का भी प्रावधान है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी इस अधिनियम में अलग से प्रावधान किए गए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन0 एफ0 एस0 ए0) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। यह निर्णय लिया गया है कि किसी राज्य द्वारा एक विशेष राज्य खाद्य आयोग का गठन करने का निर्णय लिए जाने के मामले में, केन्द्र सरकार राज्य खाद्य आयोग के लिए गैर – भवन परिसम्पत्तियों हेतु एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस षोध पत्र के माध्यम से उरांव जनजाति पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य बिंदु: गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, कल्याणकारी कार्यक्रम, उत्पादकता, वितरण

खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है, तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है।

खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि साँस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्रा दो जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं[1] :

- खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है।
- पहुँच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे।
- सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब;

    1. सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो,
    2. सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य–पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और
    3. खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो।

खाद्य – असुरक्षित कौन हैं? यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं :

भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएँ प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा – मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम – बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों; इनमें से निचली जातियों का या तो भूमि का आधार

कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएँ प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों, जैसे, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर – क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार – बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण – पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ प्रमुख हैं।

भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्रा नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्त्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबद्ध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे, बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह की भुखमरी तब होती है, जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है।

भारत में खाद्य सुरक्षा 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है।[2] देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले तीस वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था वेफ कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के दो घटक हैं: बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। इस

कानून के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी0 पी0 डी0 एस0) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तक तथा शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत तक की आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस प्रकार देश की लगभग दो – तिहाई जनसंख्या को इसका लाभ मिलने का अनुमान है। प्रति व्यक्तियों को प्रतिमाह पांच कि. ग्रा. चावल, गेहूं व मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 व 1 रुपये प्रति कि. ग्रा. की रियायती दर पर मिल सकेगा। अंत्योदय अन्न योजना (ए0 ए0 वाई0) में शामिल परिवारों को प्रति परिवार 35 कि. ग्रा. अनाज का मिलना पूर्ववत जारी रहेगा। इसके लागू होने के 365 दिन के अवधि के लिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी0 पी0 डी0 एम0) के अंतर्गत सबसीडीयुक्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु, पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा। गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा प्रसव के छः माह के उपरांत भोजन के अलावा कम से कम 6000 रुपये का मातृत्व लाभ भी मिलेगा। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे पौष्टिक आहार अथवा निर्धारित पौष्टिक मानदण्डानुसार घर राशन ले जा सकें।[3] खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति न हो पाने की स्थिति में, लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। इस अधिनियम के जिला एवं राज्यस्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का भी प्रावधान है। पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की विशेषताएं

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी0 पी0 डी0 एस0) के अंतर्गत कवरेज और हकदारी

टी0 पी0 डी0 एस0 के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की एक – समान हकदारी के साथ 75 प्रतिषत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिषत शहरी आबादी को कवर किया जाएगा। तथापि, चूंकि अंत्योदय अन्न योजना (ए0 ए0 वाई0) में निर्धनतम परिवार शामिल होते हैं और ये परिवार वर्तमान में 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह के लिए हकदार हैं, अतः मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की हकदारी सुनिश्चित रखी जाएगी।[4]

पराज्य – वार कवरेज

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 75 प्रतिषत और 50 प्रतिषत के अखिल भारतीय कवरेज के अनुरूप राज्य – वार कवरेज का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना आयोग ने वर्ष 2011 – 12 के लिए एन0 एस0 एस0 पारिवारिक उपभोग सर्वेक्षण आंकड़ों का प्रयोग करके राज्य – वार कवरेज का निर्धारण किया है और राज्य – वार 'इनक्लूजन अनुपात' भी उपलब्ध कराया है।[5]

टी0 पी0 डी0 एस0 के अंतर्गत राज सहायता प्राप्त मूल्य और उनमें संशोधन

इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए टी0 पी0 डी0 एस0 के अंतर्गत खाद्यान्न अर्थात् चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमशः 3 रू 2 रू 1 रूपए प्रति किलोग्राम के राज सहायता प्राप्त मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। तदुपरान्त इन मूल्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ उचित रूप से जोड़ा जाएगा।

यदि अधिनियम के तहत किसी राज्य का आवंटन उसके वर्तमान आवंटन से कम है तो इसे पिछले 3 वर्ष के औसत उठान के स्तर तक संरक्षित रखा जाएगा जिसके मूल्य का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत उठान को संरक्षित करने के लिए अतिरिक्त आवंटन हेतु ए0 पी0 एल0 परिवारों के लिए मौजूदा मूल्यों अर्थात् गेहूं के लिए 6.10 रूपए प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 8.30 रूपए प्रति किलोग्राम को निर्गम मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया है।[6]

- **परिवारों की पहचानः** टी0 पी0 डी0 एस0 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कवरेज के दायरे में प्रति परिवारों की पहचान संबंधी कार्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना है।

- **महिलाओं और बच्चों को पौषणिक सहायताः** गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 माह से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आई0 सी0 डी0 एस0) और मध्याह्न भोजन (एम0 डी0 एम0) स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित पौषणिक मानदण्डों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे। 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च स्तर के पोषण संबंधी मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

- **मातृत्व लाभः** गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार होंगी, जो 6000 रूपए से कम नहीं होगा।[7]

- **महिला सशक्तिकरणः** राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार की मुखिया माना जाएगा।

- **शिकायत निवारण तंत्रः** जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र। राज्यों को मौजूदा तंत्र का उपयोग करने अथवा अपना अलग तंत्र गठित करने की छूट होगी।

- **खाद्यान्नों की राज्यों के भीतर ढुलाई तथा हैंडलिंग संबंधी लागत और उचित दर दुकान डीलरों का मार्जिनः** केंद्रीय सरकार राज्यों के भीतर खाद्यान्नों की ढुलाई, हैंडलिंग और उचित दर दुकान के

मालिकों के मार्जिन पर किए गए खर्च को पूरा करने के लिए इस प्रयोजनार्थ बनाए जाने वाले मानदण्डों के अनुसार राज्यों को सहायता उपलब्ध कराएगी।

- **पारदर्शिता और जवाबदेहीः** पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित रिकार्डों को सार्वजनिक करने, सामाजिक लेखा परीक्षा करने और सतर्कता समितियों का गठन करने का प्रावधान किया गया है।

- **खाद्य सुरक्षा भत्ताः** हकदारी के खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं होने की सथिति में हकदार लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ते का प्रावधान।

- **दण्डः** जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा संस्तुत राहत का अनुपालन न करने के मामले में राज्य खाद्य आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारी या प्राधिकारी पर दण्ड लगाए जाने का प्रावधान।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उरांव जनजाति पर प्रभाव

ओराँव या उराँव छोटा नागपुर क्षेत्र का एक आदिवासी समूह है। ओराँव अथवा उराँव नाम इस समूह को दूसरे लोगों ने दिया है। अपनी लोकभाषा में यह समूह अपने आपको 'कुरुख' नाम से वर्णित करता है। अँगरेजी में 'ओ' अक्षर से लिखे जाने के कारण इस समूह के नाम का उच्चारण 'ओराँव' किया जाता है, झारखण्ड में 'उराँव' नाम का प्रचलन अधिक है।

उराँव भाषा द्रविड़ परिवार की है जो समीपवर्ती आदिवासी समूहों की मुंडा भाषाओं से सर्वथा भिन्न है। उराँव भाषा और कन्नड में अनेक समताएँ हैं। संभवतः इन्हें ही ध्यान में रखते हुए, गेट ने 1901 की अपनी जनगणना की रिपोर्ट में यह संभावना व्यक्त की थी कि उराँव मूलतः कर्नाटक क्षेत्र के निवासी थे। उनका अनुमान था कि इस समूह के पूर्वज पहले कर्नाटक से नर्मदा उपत्यका में आए और वहाँ से बाद में बिहार राज्य के सोन तट के भागों में आकर बस गए। पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में इस अनुमान को वैज्ञानिक मानना उचित नहीं होगा।[8]

अधिकांश उराँव इस समय राँची जिले के मध्य और पश्चिमी भाग में रहते हैं। उराँव समूह के प्रथम वैज्ञानिक अध्येता स्वर्गीय शरत चंद्र राय का मत है कि बिहार में ये पहले शाहाबाद जिले के सोन और कर्मनाशा नदियों के बीच के भाग में रहते थे। यह क्षेत्र 'कुरुख देश' के नाम से जाना जाता था। कुरुख शब्द संभवतः किसी मूल द्रविड़ शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। राय का अनुमान है कि इस मूल शब्द का अर्थ 'मनुष्य' रहा होगा। इस समूह की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर अवलंबित है। आखेट द्वारा भी वे अंशतः अपनी जीविका अर्जित करते हैं। जाल और फंदों द्वारा वे जंगली जानवर और मछलियाँ पकड़ते हैं।[9]

उराँव अनेक गोत्रों में विभाजित हैं। गोत्र के भीतर वैवाहिक संबंध निषिद्ध होते हैं। प्रत्येक गोत्र का अपना विशिष्ट गोत्रचिह्न होता है। राय के अनुसन्धानों द्वारा 68 गोत्रों की सूची प्रात हुई है। इनमें से 16 के गोत्रचिह्न जंगली जानवरों पर, 12 के पक्षियों पर, 14 के मछलियों तथा अन्य जलचरों पर, 19 के वनस्पतियों पर, 2 के खनिजों पर, 2 के स्थानीय नामों पर तथा 1 का सर्पो पर आधारित है। शेष दो विभाजित गोत्र हैं। प्रत्येक गोत्र अपने आपको एक विशिष्ट पूर्वज की संतान मानता है, यद्यपि गोत्रचिह्न को ही पूर्वज मानने का विश्वास उनमें नहीं पाया जाता। गोत्रचिह्न के संबंध में उनका विश्वास है कि उनके पूर्वजों को उससे प्राचीन काल में कोई न कोई अविस्मरणीय सहायता मिली थी जिसके कारण समूह के एक खंड का नाम उससे अविभाज्य रूप से संबद्ध हो गया। प्रत्येक गोत्र अपने गोत्रचिह्न वाले प्राणी, वृक्ष अथवा पदार्थ का किसी भी तरह उपयोग नहीं करता। उसे किसी भी प्रकार हानि पहुँचाना भी उनके सामाजिक नियमों द्वारा वर्जित है। यदि उनका गोत्रचिह्न कोई प्राणी या पक्षी है तो वे न तो उसका शिकार करेंगे और न उसका मांस खाएँगे। इसी तरह यदि उनका गोत्रचिह्न कोई वृक्ष है तो वे उसकी छाया में भी नहीं जायेंगे।[10]

उराँव समाज में संबंध व्यवस्था वर्गीकृत संज्ञाव्यवस्था पर आधारित होती है। विवाह सदा गोत्र के बाहर होते हैं। तीन पीढ़ियों तक के कतिपय रक्तसंबंधियों और वैवाहिक संबंधियों में भी विवाह का निषेध होता है। प्रत्येक उराँव ग्राम की अपनी स्वतंत्र नियन्त्रण व्यवस्था होती है। सामाजिक नियमों के उल्लंघन पर विचार गाँव के पंच करते हैं। गाँव के 'महतो' और 'पाहन' इस कार्य में उनका निर्देश करते हैं। पंचों की बैठक बहुधा गाँव के अखाड़े में होती है। राज्य – शासन – व्यवस्था का विस्तार अब आदिवासी क्षेत्रों में हो चुका है, इसलिए पंचों की परंपरागत शक्ति बहुत अंशों में क्षीण हो गई है। वे अब जातीय परंपराओं के उल्लंघन पर ही विचार कर सकते हैं।

उराँव लोगों का अन्तर – ग्राम – संगठन भी उल्लेखनीय है। कई समवर्ती ग्राम 'परहा' के रूप में संगठित होते हैं। उनके केन्द्रीय संगठन का नाम 'परहा पंच' होता है। परहा का सबसे महत्वपूर्ण गाँव राजा – गाँव माना जाता है। तीन अन्य महत्वपूर्ण गाँव अपने महत्व के अनुसार क्रमशः दीवान गाँव, पानरे गाँव (लिपिक ग्राम) और कोटवार ग्राम माने जाते हैं। शेष सब प्रजागाँव माने जाते हैं। परहा संगठन अपने सब सदस्य ग्रामों की सुरक्षा का प्रबंध करता है। मानवीय तथा अमानवीय प्राकृतिक तथा दैवी, प्रत्येक प्रकार की शक्तियों से ग्राम समूह को बचाना इस संगठन का मुख्य कार्य होता है। परहा संगठन की ओर से सामूहिक शिकार, नृत्य, भोज इत्यादि का भी आयोजन किया जाता है। वे मेले और जात्राओं का भी प्रबंध करते हैं। जातीय लड़ाइयों में परहा के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं।[11]

'धूमकुड़िया' उराँव की एक विशिष्ट संस्था थी। यह एक प्रकार का युवागृह होता है जिसका प्रचलन भारत तथा संसार के कतिपय अन्य आदिवासी समूहों में वास और संगठन के महत्वपूर्ण भेदों के साथ पाया जाता है। उराँव समाज में लड़कों और लड़कियों की अलग – अलग धूमकुड़िया होती है यद्यपि वे एक दूसरे के पास आ जा सकने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। कहा जाता है, पहले तरुण तरुणियों को इन गृहों में यौन संबंधों की स्वतंत्रता रहती थी। इस दिशा में उनका केवल गोत्रनियमों भर का पालन करना आवश्यक माना जाता था। समवर्ती जातियों की आलोचना के कारण इस संस्था का ह्रास होता जा रहा है। उसकी संख्या कम हो गई है। जहाँ वह आज भी पाई जाती है वहाँ उसके आंतरिक संगठन में अनेक मूलभूत परिवर्तन हो गए हैं। तरुण – तरुणियों की स्वतंत्रता कई अंशों में सीमित हो गई है।

उराँव जनजाति की आर्थिक स्थिति भी भारत के अन्य जनजातियों की तरह ही है। पर इन लोगों ने समतल भूमि पर अपना निवास (गाँव) बसा लिया है और कृषि को अपना मुख्य पेशा मान लिया है। फिर भी उनकी खेती बारी का साधन उतना उन्नत नहीं होने के कारण वे फलों, कंद मूलों तथा औद्योगिक श्रमिक वर्ग आदि में काम करते हुए कुशल एवं सफेद पाश नौकरी आदि से मुद्रा प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को अन्य जनजातियों से उन्नत बनाने के काम में अग्रसर हैं।

उराँव गाँवों में रहते है और कृषि करते है मगर जब कृषि का कार्य समाप्त होता है तो वे अन्यत्र काम ढूँढने के लिए आसाम, कलकता के आस पास औद्योगिक शहरों में चले जाते हैं। दुबारा कृषि प्रारंभ होने के बाद ये अपने गाँव वापस आते हैं। कृषि कार्य में निपुण और विकसित होने के नाते ये अपने खेतों पर अथक परिश्रम करते हैं। उनके यहाँ कृषि लायक जमीन दो प्रकार की होती है। एक तो अपेक्षाकृत निचली और अधिक उपजाऊ जिसको क्रमशः दोन के नाम से जानते हैं और दूसरी ऊँची तथा कम उपजाऊ जिसकों टांड के नाम से जानते हैं। उराँव अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक उन्नत होने के नाते निरंतर परिश्रम एवं अनुभव तथा शेष बाहरी व्यक्तियों के सम्पर्क एवं अनुकरण के कारण खेती में बहुत सफल हैं। ये लोग खेती में खाद के प्रयोग से भी भली भांति परिचित हैं। इस क्षेत्र में इसाई समुदाय का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि ईसाईयों द्वारा सूदूर जंगली पठारी इलाकों में भी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए स्कूल खोल खोल कर उन अनपढ़ जनजातियों को शिक्षित बनाया गया। शिक्षा एवं संपर्क से इन लोगों ने विकास के साधनों को अपेक्षाकृत जल्दी और लाभ पूर्ण ढंग से अपनाया। उराँव कृषिक अपने खेतों में सिंचाई का उचित प्रबंध करते हैं। ढालू जमीनों में बड़ी सीढ़ी के आकार में खेत बना कर सामने (आड़) लगाकर उपर से नीचे की ओर धीरे धीरे पानी आने देते हैं। इस प्रकार सिंचाई भी होती है तथा उपर की मिट्टी भी बहकर नीचे आने नहीं पाती है। उराँव जनजाति के कृषि उपकरणों में लोहे के फाल वाले हल,

ढेला फोड़ने के लिए फावड़ा, खुरपी, कुदाली, हंसिया आदि प्रमुख हैं। इनकी मुख्य उपज धान, बाजरा, कुरथी, सुरगुजा, उरद आदि है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रभाव

उरांव जनजाति के खाद्य संबंधी आवष्यकताओं को पूरा करने में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की महती भूमिका रही है। इसके माध्यम से न सिर्फ उनकी दिन प्रतिदिन की खाद्य संबंधी आवष्यकताओं की पूर्ति हो पा रही है बल्कि उनमें गरीबी के स्तर को नीचे लाने व महिलाओं के स्वास्थ्य व्यवस्था को कारगर बनाने में यह अधिनियम अपनी अमिट छाप छोड रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने उरांव जनजाति के खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य किया है। जिससे उनमें कुपोषण एवं खाद्य असुरक्षा से लडने में हिम्मत बढी है। इस अधिनियम के परिणामस्वरूप गरीबों के लिए भोजन तक पहुंच के रूप में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्ध लाभांश लाने की प्रक्रिया को बल मिला है और उससे उनकी उत्पादकता में सुधार, श्रम दक्षता में सुधार व व्यय में कमी हुई। साथ ही साथ स्वास्थ्य स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन तथा शहरी पलायन को कम करने में बल मिला हैं।

इस अधिनियम के आने के बाद यद्यपी उरांव जनजाति की खाद्य आवष्यकताओं की पूर्ति का मार्ग प्रषस्त हुआ है तथापी अनुभवजन्य साक्ष्य गैर – आदिवासी समूहों की तुलना में आदिवासी समूहों के बीच गरीबी, कैलोरी की मात्रा में कमी और कुपोषण के मामले में खाद्य असुरक्षा की एक उच्च घटना को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से उत्पादक कृषि भूमि तक पहुंच स्वामित्व की कमी और इसके परिणामस्वरूप कृषि से कम आय के कारण है, जो शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण और अधिक जटिल है। परिवारों की सामाजिक स्थिति का बच्चों के पोषण स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गैर – आदिवासी समुदायों की तुलना में आदिवासी समुदायों में पोषण की स्थिति काफी कम है। बच्चों की पोषण स्थिति कई अन्य कारकों के अधीन होती है जैसे मां का शैक्षिक स्तर, बच्चों की आयु, जन्म क्रम, चाहे माताएं जंगलों से एन0 टी0 एफ0 पी0 के संग्रह में लगी हों या नहीं आदि।

जनजातीय लोगों का जीवन भूमि, जल संसाधनों और वनों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। संसाधनों के संरक्षण और संरक्षण, पैदावार में सुधार के तरीके विकसित करने, संसाधनों के सतत उपयोग को प्रोत्साहित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उपयुक्त बाजार संपर्क विकसित करने से उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। इस क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और इन भागों में ईको – पर्यटन को बढ़ावा देने की काफी गुंजाइश है। स्थानीय आदिवासी समुदायों के सहयोग से किया गया यह न केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकता है बल्कि आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही यह शिक्षा, स्वास्थ्य और आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे सुलभ सड़कों

और परिवहन सुविधाओं में विकास सहायता प्रदान करने के लिए गंभीर इरादे से अभिन्न है। उरांव आदिवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आकलन एवं इसमें निहित समस्याएँ आश्चर्यजनक रूप से एन0 एफ0 एस0 ए0 भोजन के सार्वभौमिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। इसके बजाए यह कुछ मानदंडों के आधार पर पहचाने गए लोगों के लिये भोजन के अधिकार को सीमित करता है। साथ ही, इसके अंतर्गत यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि यह अधिनियम ''युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात या भूकंप'' की स्थिति में लागू नहीं होगा (विशेष रूप से, यह केंद्र सरकार के अनुमोदन के अंतर्गत आता है कि वह ऐसी किसी स्थिति के होने की घोषणा करे)। यह देखते हुए कि उपरोक्त परिस्थितियों में भोजन का अधिकार सबसे अधिक मूल्यवान हो जाता है, यह संदिग्ध प्रतीत होता है कि यह अधिनियम उस अधिकार की गारंटी देने में प्रभावी है या नहीं। एन0 एफ0 एस0 ए0 का एक और समस्या ग्रस्त पहलू यह है कि इसके अंतर्गत कुछ ऐसे उद्देश्यों को शामिल किया गया है जिनके संबंध में प्रगतिशील रूप से कार्य किया जाना चाहिये। इन उद्देश्यों अथवा प्रावधानों में कृषि सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और विकेंद्रीकृत खरीद को शामिल किया गया है, लेकिन इन उद्देश्यों अथवा प्रावधानों में हमारी कृषि प्रणालियों के बारे में मौलिक धारणाओं पर पुनर्विचार करने और खाद्य सुरक्षा को अधिक व्यापक तरीके से देखने की आवश्यकता का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ता खाद्यान्न आम लोगों तक पहुँचाया जाता है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्न वितरण के लिये विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क है। केंद्र सरकार सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराती है और उसका वितरण स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा आवंटित उचित दर की दुकानों (राशन की दुकान) के द्वारा किया जाता है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

मूल रूप से यह योजना उस धन का दुरुपयोग रोकने के लिये है, जिसे किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थी तक पहुँचने से पहले ही बिचौलिये तथा अन्य भ्रष्टाचारी हड़पने की जुगत में रहते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जुड़ी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी बिचौलिये का कोई काम नहीं है और यह योजना सरकार एवं लाभार्थियों के बीच सीधे चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार

लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में कर देती है। लाभार्थियों को भुगतान उनके आधार कार्ड के जरिये भी किया जा रहा है। यह तर्कसंगत है कि ''प्रगतिशील प्राप्ति'' का मुद्दा खाद्य सुरक्षा में सुधार को अवरुद्ध करता है। ऐसा इसलिये है क्योंकि इसके तहत वर्णित कुछ तत्त्व पहले से ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों और नीतियों में शामिल हैं।[12]

उन्हें ''प्रगतिशील प्राप्ति'' के दायित्व के रूप में वर्णित करने से विपरीत परिणाम सामने आएंगे, इसके परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर राज्य एन0 एफ0 एस0 ए0 में वर्णित आवश्यक कार्यवाहियों को करने से बचेंगे वहीं, दूसरी ओर जिस उद्देश्य के साथ इस अधिनियम को लाया गया है उसे प्राप्त करना और अधिक कठिन हो जाएगा। विचारणीय पक्ष यह है कि एन0 एफ0 एस0 ए0 को यदि केवल नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिये सरकारी प्रतिबद्धता के रूप में स्थापित किया जाता है तो यह अदालतों की कार्रवाई को सीमित कर सकता है। ऐसे में अधिनियम के तहत नागरिक अधिकारों को किस सीमा तक विस्तृत किया जा सकता है यह चिंता का विषय है। हाल ही में स्वराज अभियान के मामलों में यह डर सामने आया जब भारत में लगातार सूखे की स्थिति से निपटने में सरकारी विफलताओं के प्रभाव स्पष्ट हुए। हालाँकि एन0 एफ0 एस0 ए0 के प्रावधानों को लागू करने के लिये अदालत ने कार्यकारी को आदेश भी जारी किया, लेकिन नागरिकों को क्या दिया जाना चाहिये इस सबका निर्धारण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह देखते हुए कि एन0 एफ0 एस0 ए0 में मुख्य रूप से चावल और गेहूँ का उल्लेख किया गया है जो कि केवल कुछ नागरिकों के लिये ही है, इस चिंता को बढ़ावा प्रदान करता है।

''तीसरी पीढ़ी'' का खाद्य सुरक्षा कानून

अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि जब एन0 एफ0 एस0 ए0 के अंतर्गत पहुँच, उपलब्धता और यहाँ तक कि सामंजस्यपूर्ण रूप से उपयोग के मुद्दों को गहनता से संबोधित किया गया है, तो भी इसके अंतर्गत खाद्य आपूर्ति की स्थिरता के मुद्दे पर काफी कुछ किये जाने की आवश्यकता है। वस्तुतः हमें एक ''तीसरी पीढ़ी'' के खाद्य सुरक्षा कानून को बनाने की आवश्यकता पर बल देना चाहिये जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं तथा जलवायु अनुकूलन सहित बहुत से अन्य मुद्दों को शामिल करते हुए खाद्य सुरक्षा की समस्या को हल किया जाना चाहिये। इस तरह का ढाँचा सभी चार आयामों में देश की खाद्य सुरक्षा का सामना करने वाली चुनौतियों का समाधान करेगा और इस तरह की विशेषता वाले छोटे–छोटे प्रयास करने की बजाय एक समन्वित प्रयास के तहत इन समस्याओं का हल किया जाना चाहिये।

खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत बहुत से अन्य मुद्दे जैसे– असमानता, खाद्य विविधता, स्वदेशी अधिकार और पर्यावरण न्याय भी सम्मिलित होते हैं। कृषि और खाद्य सुरक्षा में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये हर महीने अनाज की विशेष मात्रा प्रदान करने की बजाय इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि गाँव खुद

अपनी अवश्यकताओं की पूर्ति करें, जिससे भोजन के अभाव को दूर करने में सहायता मिलेगी। भारत को खाद्य उत्पादन में सक्षम बनाने के लिये रणनीतिक योजनाएँ और उनके समुचित कार्यान्वयन की आवश्यकता है। यह काम समेकित अनुसंधान और कार्यक्रम विस्तार के जरिये ही संभव होगा।

वर्तमान प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं–

- भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए सतर्कता दस्ते को मजबूत किया जाना चाहिए, जो करदाताओं के लिए एक अतिरिक्त खर्च है।
- विभाग के कार्मिक प्रभारी को स्थानीय स्तर पर चुना जाना चाहिए।
- ईमानदार व्यवसाय के लिए लाभ का मार्जिन बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे में बाजार प्रणाली वैसे भी अधिक उपयुक्त है।
- एफ0 सी0 आई0 और अन्य प्रमुख एजेंसियों को वितरण के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहिए, जो कि ऐसी एजेंसी के लिए एक लंबा आदेश है जिसके पास ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक प्रोत्साहन नहीं है।
- फर्जी और डुप्लीकेट कार्डों को खत्म करने के लिए बार – बार जांच और छापेमारी की जानी चाहिए, जो फिर से एक अतिरिक्त खर्च है और फुलप्रूफ नहीं है।
- नागरिक आपूर्ति निगम को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उचित मूल्य की दुकानें खोलनी चाहिए।
- उचित मूल्य डीलर कभी – कभार ही दुकान के सामने ब्लॉक – बोर्डों में उपलब्ध दर चार्ट और मात्रा प्रदर्शित करते हैं। इस पर अमल किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. देव, एस. महेंद्र, कानन, के. पी. और रामचंद्रन, नीरा, 2003, टुआर्डस ए0 पफू ड0 सिक्योर इंडिया: इश्यूष एंड पॉलिसीष, इंस्टीच्यूट पफॉर ह्यूमन डेवलपेमेंट, नयी दिल्ली पृ 64।
2. आई. आई. पी. एस. 2000, नेशनल हेल्थ एंड पैफमली सर्वे–2, इंटरनेशलन इंस्टीच्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेष, मुंबई पृ 113।
3. सक्सेना, एन. सी., 2004, सेनेरजाइषिंग गर्वमेंट एफर्ट फॉर फूड सिक्युरिटी, स्वामीनाथन, एम. एस. और मेडरानो, पैड्रो, में, टुवार्डस हंगर प्रफी इंडिया, ईस्ट–वेस्ट बुक्स, चेन्नई पृ 70।

4. सागर, विद्या, 2004, फूड सिक्युरिटी इन इंडिया, पेपर प्रजेंटेड इन ए. डी.आर. एफ. आई. एफ. आर. आई. फाइनल मीटिग ऑन फूड सिक्युरिटी इन इंडिया, सितंबर 10–11, नयी दिल्ली पृ 8।

5. शर्मा, रेखा और मीनाक्षी, जे. वी., 2004, माइक्रोन्यूट्रियेंट डिफिसिएन्सीष इन रूरल डाइट्स, टुवार्डस हंगर प्रफी इंडियाः फ्रॉम विजन टू एक्शन, प्रोसीडग्स ऑफ कंसलटेशन ऑन 'टुवार्डस हंगर फ्री इंडियाः काउंट डाउन फ्रॉम 2007' नयी दिल्ली पृ 109।

6. सक्सेना, एन. सी., 2004, रिऑर्गनाइषिग पॉलिसीष एंड डेलेवरी पफॉर एलीवियेटग हंगर एंड मालन्यूट्रिशन, नेशनल पूफड सिक्युरिटी सम्मिट, नयी दिल्ली में प्रस्तुत पर्चा पृ 32।

7. अर्थिक सर्वेक्षण 2002–03, 2003–04, 2004–05, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली पृ 612।

8. डाल्टन ई. टी, 1872, डिसक्रिपटिव इथ्नोलॉजी ऑफ बंगाल कलकता प्रेस कलकता पृ 23।

9. राय, एस. सी, 2018, दी उरांव ऑफ छोटानागपुरः देयर हिस्ट्री इकोनॉमिक लाइफ एण्ड सोषल ऑर्गेनाइजेषन, अभिजित प्रकाषन नई दिल्ली पृ 65।

10. घोष, अभिक, 2003, हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ द उरांव ट्राइबः सम एसपेक्टस ऑफ देयर सोषल लाइफ, मोहित प्रकाषन नई दिल्ली पृ 212।

11. मजूमदार, डी. एन, 1974, रेसेज एण्ड कल्चर ऑफ इंडिया, एषिया पब्लिसिंग हाउस नई दिल्ली पृ 45।

12. एफ. ए. ओ. 1996, वर्ल्ड पूफड सम्मिट 1995, फूड एण्ड एग्रीकल्चरल ऑर्गनाइजेशन, रोम पृ 723